

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

11/23

प्रकरण संख्या 31/2023

उनवान

विकास पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुमावत निवासी राजपूतो का मौहल्ला गनाहैड़ा, गानाहैड़ा जिला  
अजमेर राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 व  
धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956

—: : आदेश : :—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिलोरा व भू.अ.नि. सिलोरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 में खाता संख्या नया 124 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिलोरा	124	विकास पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा 1/12 जाति सिलावट सा. देह खातेदार	विकास पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा 1/12 जाति कुमावत सा. देह खातेदार

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/11/23 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)